96

नि/निग०/रीवा/2018/0734

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) सा० किर्र कैम्प रीवा

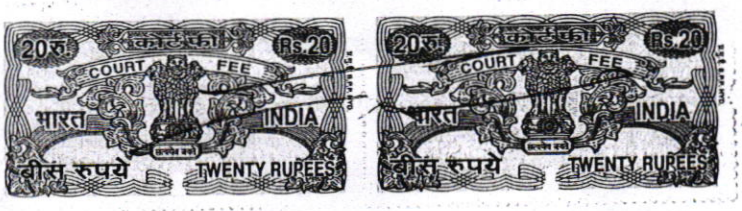

Rs 40/-

1- रघुराई साहू तनय स्व. छोटे लाल उम्र 50 वर्ष पेशा खेती

2- श्रीमती रज्जी बेवा पत्नी छोटा साहू उम्र 70 वर्ष पेशा-घरू कार्य दोनों निवासी ग्राम टीकर तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

अधि० श्री सूर्यनाथ पाण्डे द्वारा पेश / 25-01-18

.............आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1- बृजेन्द्र कुमार साहू तनय मोलई साहू उम्र 32 वर्ष पेशा खेती व मजदूरी निवासी ग्राम टीकर निमिहन टोला तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

2- श्रीमती धनवंती पत्नी स्व. छकौड़ी लाल उम्र 65 वर्ष,

3- तेजा साहू पिता स्व. छकौड़ी लाल साहू उम्र 45 वर्ष पेगा-खेती

4- मोलई साहू तनय स्व. कामता प्रसाद साहू उम्र 60 वर्ष पेशा-खेती

5- ध्रुव कुमार साहू तनय मोलई साहू उम्र 38 वर्ष पेशा-खेती

6- पवन कुमार साहू तनय मोलई साहू उम्र 30 वर्ष पेशा-खेती

7- राजकुमार साहू तनय मोलई साहू उम्र 28 वर्ष पेशा-खेती

8- राजेश साहू तनय मोलई साहू उम्र 24 वष पेशा- खेती

9- रामहित साहू तनय मोलई साहू उम्र 21 वर्ष, पेशा-खेती

10- दीपक साहू तनय मोलई साहू उम्र 19 वर्ष पेशा-खेती

11- रामसुमिरन पटेल तनय सम्पत पटेल उम्र 55 वर्ष पेशा-खेती

13- श्रीमती शीला कुशवाहा पत्नी श्री गंगा प्रसाद कुशवाहा उम्र 42 वर्ष पेशा- घरू कार्य

सभी निवासी ग्राम टीकर तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

.............अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

1

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र. -388/अपील/2017/18 दिनांक 12.01.2018

अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं :-

अनावेदक क्र.-1 ने व्यवहारवाद क्र.-34ए/16 में अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है, और साथ ही स्वत्व घोषणा चाही है, जो प्रकरण दिनांक 28.02.2017 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, उसे विरूद्ध आवेदकगण ने अपील तृतीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय रीवा की न्यायालय में पेश किया है और उसमें अनावेदकगण उपस्थित भी हो चुके हैं, किन्तु नायब तहसीलदार महोदय वृत्त गोविन्दगढ के यहां बटनवारे का प्रकरण जो सहमति और कब्जे के मुताबिक स्वीकारोक्ति है उक्त तथ्य को छिपाकर अनुविभागीय अधिकारी की न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दिया जो प्रकरण क्र.-109/अ27/15-16 आदेश दिनांक 10.11.2017 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा की न्यायालय में अपील पेश किया और स्थगन की मांग किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कैविएटर अनावेदक क्र.-1 की उपस्थिति में सुनकर निर्णय दिनांक 28.11.2017 को पारित किया और यथास्थिति का आदेश आगामी तिथि तक के लिए दिया और उक्त तारीख में निषेधाज्ञा के आदेश की अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई थी, जो अधीनस्थ न्यायालय के पूर्ण संज्ञान में थी लेकिन दिनांक 12.01.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की छायाप्रति पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया, जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

आधार निगरानी निम्नलिखित है

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध निर्णय देने में भूल की है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा एवं राजस्व इन्द्राज के सुधार में फर्क न करने में भूल किया है,

रघुराज सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क0 दो–निग0/रीवा/भू.रा./2018/734

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 388/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–1–18 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 12–1–18 के अवलोकन से परलिक्षित है कि वादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रकरण कमांक 34 ए/2016 प्रचलित है जिसमें पारित आदेश दिनांक 28–2–17 से निषेधाज्ञा जारी हुई है जो सभी पक्षकारों पर एंव राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है और इसी तथ्य के अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अभिज्ञान में आने के आधार पर उन्होंने पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है क्योंकि माननीय व्यवहार न्यायालय से वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में जो आदेश होंगे , वह राजस्व न्यायालयों पर एंव हितबद्व पक्षकारों पर बन्धनकारी रहेंगे। 3/ उक्त कारणों से निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	